संख्या-124/2016/914/41-2016-17 यो0/16

प्रेषक,

विनय कुमार सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 13] दिसम्बर, 2016

विषय- उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति के अन्तर्गत चयनित जनपद-गाजीपुर के ग्राम उसिया के पर्यटन विकास हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-244/6-1-1(727)/2015, दिनांक 24.05.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना में उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति के अन्तर्गत चयनित जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम उसिया में ऐतिहासिक बाबू साहब तालाब तथा नाजीर खां का मकान व बडा बंगला नामक स्मारक भवनों के हेरिटेज पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग निर्माण खण्ड, वाराणसी द्वारा गठित आगणन रू0 99.85 लाख के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 99.10 लाख (रूपये निन्नावे लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 39/2016/515/41-2016-17 यो0/15, दिनांक 19.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम उसिया में ऐतिहासिक बाबू साहब तालाब तथा नाजीर खां का मकान व बडा बंगला नामक स्मारक भवनों के हेरिटेज पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 49.10 लाख(रूपये उन्चास लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति सम्बन्धी शासनादेश सं0 103/2015/1422/41-2015-116 सा0/15, दिनांक 16.06.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत योजना का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त निर्माण कार्य पर व्यय नीति के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रबन्धन समिति की संस्तुतियों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त कर परीक्षण कराते हुए शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-124/2016/914(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, वाराणसी/जिलाधिकारी, गाजीपुर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सोन), वाराणसी।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in